

पत्रावली के द्वारा दस्तावेजों की विवेचना के  
अप्रामाणिकता को जर्ने रजिस्टर किया जाने  
पत्रावली दिनांक 12-8-2021 को चेखा ले।

1-8-2021

पत्रावली चेखा हुई वकील प्रार्थी उपस्थित  
वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि  
में इस प्रकरण में जाने कोई कार्यवाही  
नहीं चाहता हूँ मेरे द्वारा चेखा प्रथम-का  
को जर्ने कर दिया जाने।

में उपस्थित  
को जर्ने कर  
प्रार्थी  
नहीं चाहता  
करने।

अतः, वकील द्वारा निवेदन करने पर  
इस पत्रावली को जर्ने किया जाता है  
पत्रावली फाइल नुमांदा लेकर नम्बर से  
कम की जाने।

निर्णय आज दिनांक 12-8-2021 को खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

डिप्टी जज अधिकारी  
संगरौर जिला बारी (राज.)